# न्यायालय उप जिला कलेक्टर

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---|---|
| 16/03/21 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। गैरसायलान बावजूद तामील अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजानुसार प्रार्थी विवादित भूमि पर खातेदार दर्ज रेकॉर्ड नहीं है बल्कि एक अनरजिस्टर्ड ईकरारनामे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। प्रकरण में सुविधा का संतुलन, अपूर्णीयक्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होता है फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। <br> 16.03.21 <br> (सुरेश कुमार यादव) <br> उपखण्ड अधिकारी <br> हिण्डौन (करौली) |

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.19 18:20:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner